



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 04 जून, 2025 ई0

ज्येष्ठ 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या- 303390 / 2025 / 01(120) / XXVII(8) / 2025 / CT-11

देहरादून: दिनांक 04 जून, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025

संक्षिप्त 1. (1) इन नियमों को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम,
नाम और 2025 कहा जाएगा।

प्रारंभ

(2) यह दिनांक 27 मार्च, 2025 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

नियम 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 164 में:-

164 में

(क) उपनियम (4) में:-

संशोधन

(i) "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से संबंधित कर की पूर्ण रकम और उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शारित के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 के प्रारंभ होने से पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।

(ख) उपनियम (7) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहाँ धारा 128 क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए कर की मांग भी शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाय अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे।

स्पष्टीकरण- शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128क के उपखंड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके भाग की अवधि के लिए उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जाएगा।"

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 303390/2025/01(120)/XXVII(8)/2025/CT-11, dated June 04, 2025 for general information:

No. 303390/2025/01(120)/XXVII(8)/2025/CT-11,

Dated Dehradun, June 04, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2025

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force on 27th March, 2025.

Amendment of Rule 164 2. In rule 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 -

(a) in sub-rule (4)-

(i) in sub-rule (4), for the words "after payment of the full amount of tax demanded in the said notice or statement or order, on or before the date notified under the said sub-section", the words "after payment of the full amount of tax related to period mentioned in the said sub-section and demanded in the said notice or statement or order, on or before the date notified under the said sub-section" shall be substituted.

(ii) after sub-rule (4), the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation, - No refund shall be available for any tax, interest, and penalty, which has already been discharged for the entire period, prior to the commencement of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2025, in cases where a notice or statement or order mentioned in sub-section (1) of section 128A, includes a demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for a period other than mentioned in the said sub-section."

(b) in sub-rule 7, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that where the notice or statement or order mentioned in sub-section(1) of section 128A of the Act includes demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for the period other than that mentioned in the said sub-section, the applicant instead of withdrawing the appeal, shall intimate the appellate authority or Appellate Tribunal that he does not wish to pursue the appeal for the period mentioned in the said sub-section and the relevant authority shall, after taking note of the said request, pass such order for the period other than that mentioned in the said sub-section, as he thinks just and proper.

Explanation,- For the removal of doubt, it is clarified that the appeal application shall be deemed to have been withdrawn to the extent of the said intimation for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2020 or part thereof, for the purpose of sub-clause (3) of section 128A."

By Order,

DILIP JAWALKAR,
Secretary.